यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

अधिशासी निदेशक(मा0सं0), "उज्जवल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून -248006 (उत्तराखण्ड)

Executive Director (HR), Ujjwal", Maharani Bagh, G.M.S Road, Dehradun -248006 (Uttarakhand)

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified

कार्यालय ज्ञाप

-

एतद्द्वारा, निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 8190/यूजेवीएनलि/एचआर/आईआर, दिनांक 12–10–2011, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 11/XXVII(7)/34/2011, दिनांक 30–05–2011 के अनुपालन में यूजेवीएन लिमिटेड के महिला कार्मिकों हेतु बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किया गया है, को अतिक्रमित करते हुये यूजेवीएन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 19–09–2023 को आहूत 116वीं (116.17) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 126942/XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनांक 01–06–2023 में निहित प्राविधानोनुसार यूजेवीएन लिमिटेड के महिला सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1– बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

2– एकल अभिभावक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष सेवक तथा अविवाहित महिला सेवक को भी सम्मिलित किया जायेगा।

3– बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

4– बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भॉति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भॉति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जायेगा। बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

5– जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुऐ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6– एकल महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 6 बार तथा अन्य पात्र महिला/पुरुष सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

7– बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्मिक बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के इतर अन्य कार्यों हेतु बाल्य देखभाल अवकाश लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम/आदेश लागू होंगे।

8– बाल्य देखभाल अवकाश मे रहते हुये कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। जिन महिला सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के सम्बन्ध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुये अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा।

9– परिवीक्षाकाल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं। सेवा नियमावली में निर्धारित परिवीक्षाकाल अवधि में बाल्य देखभाल अवकाश तीन माह से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

प्रतिलिपिः–

1– निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3– समस्त निदेशक/अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड।
4– समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
5– उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को उक्त आदेश यूजेवीएन लि0 की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6– कम्पनी सचिव/वरिष्ठ विधि अधिकारी(उपमहाप्रबन्धक स्तर), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7– प्रबन्धक(प्रशा0एवं सुरक्षा), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
8– मानव संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग/अधिकारी।

(राजेन्द्र सिंह)

अधिशासी निदेशक(मा0सं0)